भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1386
10 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नि:शुल्क औषधि और नैदानिक सेवा पहल

1386. श्री संजय काका पाटील:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली नि:शुल्क औषधि एवं नैदानिक सेवा पहल का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस मिशन के कार्यान्वयन के इतने वर्षों के बाद इस पहल की प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) महाराष्ट्र सहित स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों (एचडब्ल्यूसी) में बाह्य रोगियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार औसत संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों में बाह्य रोगियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): एनएचएम के तहत, जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आवश्यक औषधियों का नि:शुल्क प्रावधान किए जाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में दर्शाई गई आवश्यकताओं के आधार पर उनकी समग्र संसाधन सीमा के भीतर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मंत्रालय ने जन स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों में सुविधा केन्द्र-वार आवश्यक औषधियों की सूची (ईडीएल) उपलब्ध कराए जाने की सिफारिश की है ताकि आवश्यक दवाओं तक व्यापक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित की जा सके। विभिन्न सुविधा केंद्रों में संस्तुत दवाएं नीचे दी गई हैं। हालांकि राज्यों को इनमें और दवाएं शामिल करने की छूट है।

क्र.सं.	सुविधा केंद्र का नाम	आवश्यक दवाओं की संख्या
1	डीएच	375
2	एसडीएच	311
3	सीएचसी	299
4	एचडब्ल्यूसी-पीएचसी	171
5	एचडब्ल्यूसी- उप-केंद्र	105

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 'नि: शुल्क नैदानिक सेवा पहल' (एफडीएसआई)कार्यक्रम की सहायता करता है। इस कार्यक्रम को समुदाय के समीप सुगम और वहनीय पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल नैदानिक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था जिसके फलस्वरूप रोगी के जेबी खर्च (ओओपीई) में कमी होती है। स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में उपलब्ध कराई जाने वाली नैदानिक सेवाएं नीचे दी गई है;

क्र.सं.	सुविधा केंद्र का नाम	नैदानिक सेवाओं की संख्या
1	डीएच	134
2	एसडीएच	111
3	सीएचसी	97
4	एचडब्ल्यूसी-पीएचसी	63
5	एचडब्ल्यूसी-उप-केंद्र	14

(घ): दिनांक 01 फरवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार एबी-एचडब्ल्यूसी में आने वाले रोगियों का महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक पर संलग्न है।

(ङ): एबी-एचडब्ल्यूसी में बाह्य रोगियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

- एबी-एचडब्ल्यूसी द्वारा 12 सेवाओं वाला एक विस्तारित पैकेज उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है जिसमें गैर-संचारी रोगों की जांच, रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन, नेत्र संबंधी सामान्य समस्याओं और ईएनटी समस्याओं के लिए परिचर्या, आधारभूत मुख स्वास्थ्य परिचर्या और आधारभूत मानसिक स्वास्थ्य रोगों का प्रबंधन शामिल है।
- एबी-एचडब्ल्यूसी में आवश्यक दवाओं और आवश्यक नैदानिक सेवाओं की संख्या में वृद्धि की गई है।
- आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ से परामर्श उपलब्ध कराने के लिए ई-संजीवनी टेली परामर्शन के माध्यम से सभी एचडब्ल्यूसी को जोड़ा जाता है।

- एबी-एचडब्ल्यूसी उपयुक्त रेफरल और घर और समुदाय में इष्टतम अनुवर्ती उपचार के माध्यम से सतत परिचर्या सुनिश्चित करता है।
- प्रत्येक एबी-एचडब्ल्यूसी द्वारा आरोग्यता संबंधी कार्यकलापों जैसे योगा, जुम्बा और मेडिटेशन, 42 वार्षिक स्वास्थ्य कलेंडर दिवस मनाए जाते हैं।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य कार्यकलापों के प्रति जागरूकता पैदा करने में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति और महिला आरोग्य समिति जैसे सामुदायिक मंच और जन-आरोग्य समितियों जैसे सुविधा आधारित मंच महत्वपूर्ण हैं।
- गुणवत्तापरक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की इच्छा रखने वाले हजारों लोगों में जागरूकता पैदा करने आकर्षित करने के लिए ब्लॉक स्वास्थ्य मेले और एबी-एचडब्ल्यूसी में मेलों का आयोजन किया जाता है।

अनुलग्नक 1 – एबी-एचडब्ल्यूसी में आने वाले लोगों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रों में आने वाले लोग (लाख में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12.64
2	आंध्र प्रदेश	1189.50
3	अरुणाचल प्रदेश	6.22
4	असम	175.16
5	बिहार	215.22
6	चंडीगढ़	22.00
7	छत्तीसगढ़	422.84
8	दादरा और नगर हवेली	8.88
9	दमन और दीव	8.00
10	दिल्ली	0.00636
11	गोवा	26.29
12	गुजरात	1037.37
13	हरियाणा	285.58
14	हिमाचल प्रदेश	78.19
15	जम्मू और कश्मीर	126.21
16	झारखंड	89.84
17	कर्नाटक	1063.16
18	केरल	937.31
19	लद्दाख	4.90
20	लक्षद्वीप	2.50
21	मध्य प्रदेश	682.94
22	महाराष्ट्र	1322.54
23	मणिपुर	9.61
24	मेघालय	39.63
25	मिजोरम	14.01
26	नगालैंड	8.04
27	ओड़िशा	800.20
28	पुदुच्चेरी	102.67
29	पंजाब	282.35
30	राजस्थान	790.64
31	सिक्किम	7.97
32	तमिलनाडु	1543.00
33	तेलंगाना	594.03
34	त्रिपुरा	26.73
35	उत्तर प्रदेश	984.05
36	उत्तराखंड	62.12
37	पश्चिम बंगाल	1227.57
कुल		**14210.08**

(आंकड़ा स्रोत- एबी-एचडब्ल्यूसी पोर्टल 1 फरवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार)

*****